संख्या- 216/2018/1622/नौ-5-2018-121बजट/2016-टी0सी0

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2018

विषय: अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 के लिए (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में पेयजल हाउस कनेक्शन एवं पाइप लाइन विस्तार की स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या- एसएमएमयू/673/573/2018, दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2015-16 में नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में पेयजल हाउस कनेक्शन एवं पाइप लाइन विस्तार की स्वीकृत परियोजना की स्वीकृत लागत रू0 174.82 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 28.74 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या- 343/2016/3753/नौ-5-16-121बजट/16, दिनांक 01.12.2016 द्वारा अवमुक्त की गयी, का उपभोग हो जाने आलोक में द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 31.12 लाख, राज्यांश रू0 18.66 लाख तथा सेन्टेज रू0 7.70 लाख कुल रू0 57.48 लाख **(रू0 सत्तावन लाख अडतालिस हजार मात्र)** का व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के खाते में अमृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष किया जाय।

(2) अमृत योजना के अन्तर्गत सैप-1, सैप-2, सैप-3 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई है, जो Fungible है तथा उक्त धनराशि को स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष योजनान्तर्गत कार्यो को पूर्ण करने के लिए उपभोग किया जा सकता है।

(3) अमृत योजना के तहत राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अंश के साथ-साथ निकाय अंश की धनराशि की आवश्यकता भी होती है, जिसे प्रत्येक किश्त के साथ अवमुक्त करने में निकायों के स्तर से कठिनाई आ रही है। उक्त के दृष्टिगत निकाय अंश को परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) द्वितीय किश्त की धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ पीडीएमसी/थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट/जिलाधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिशन निदेशक (अमृत) के स्तर से तृतीय किश्त अवमुक्त की जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय अमृत योजना की गाइड लाइन्स एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

(6) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जाएगा ।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) पीएफएडी/व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

संख्या- 216/2018/1626(1)/नौ-5-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- मण्डलायुक्त, वाराणसी ।
7- जिलाधिकारी, गाजीपुर ।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
12- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव